न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
150/2020	02.12.2020	05.1.26

रतन पुत्र घीस्या जाति माली निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी——वादी
बनाम
1. नत्थू पुत्र घीस्या जाति माली निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
2. गणपत पुत्र शंकरलाल जाति महाजन निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामकिशोर पुत्र नाथूलाल उर्फ नाथ्या, गुर्जर निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
4. मुकेश पुत्र कल्लू जाति महाजन निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —— प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं० 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई हैं तथा प्रतिवादी सं० 2 को प्रतिवादी सं० 1 द्वारा 39/104 हिस्सा भूमि का बेचान किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 की संयुक्त खातेदारी की व पैत्रक भूमि ख०नं० 769 रकबा 39 एयर, ख०नं० 770 रकबा 1.04 हेक्टर, ख0नं0 771 रकबा 50 एयर, ख0नं0 781 रकबा 45 एयर, ख0नं0 782 रकबा 89 एयर कुल रकबा 3.27 हेक्टर भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा ख0नं0 780 रकबा 1.21. टर में वादी व प्रतिवादी सं० 1 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज हैं। ख०नं० 770 के दक्षिणी हिस्से की डौल के सहारे जो ख0नं0 779 से लगी हुई है के किनारे प्रार्थी का कुआ बना हुआ है जिसका रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में ही उक्त वर्णित ख०नं० 769 लगायत 782 का मौखिक पारिवारिक बंटवारा कर लिया था तदनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं० 1. अपने हिस्से पर काबिज हैं। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा संयुक्त खाते की भूमि का बिना। चिभाजन करवाए अपनी सुविधानुसार गणपतलाल पुत्र शंकरलाल महाजन को बेच दिया इसलिए उन्हें पक्षकार सं० 2 बनाया गया है। वादी को प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध वादकारण दिनांक 20.09.09 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं0 1 ने ख0नं0 780 का निश्चित हिस्सा नापने से मना कर दिया तथा खुर्दबुर्द करने की धमकी दी। अंतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के मध्य भूमि ख०न० 769 लगायत 782 कुल रकबा 3.88 हैक्टर ग्राम मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अनुसार मीट्स एण्ड बाण्डस् के आधार पर विभाजन करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज किए जाने तथा ख0नं0 770 में दक्षिण दिशा की डौल के समीप नव निर्मित कुए को इन्द्राज किया जाकर अलग से नम्बर अलोट किए जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से प्रविष्टि की जाने के आदेश प्रतिवादी नं० 5 को दिए जावे। प्रतिवादी सं० 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे किये बिना विभाजन कटर करार उक्त भूमि को किसी को रहम वय अथवा अन्य तरीके से स्थानान्तरित नहीं करे एवं वादी के हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 3 उक्त भूमि में से प्रतिवादी द्वारा विक्रय की स्थिति में पंजीयन नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादी नं० 2 लगायत 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं० 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं० 1 ने ख०नं० 770 में से 39/104 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 गणपतलाल महाजन को रेवेन्यु रिकार्ड के अनुसार विक्रय किया है परन्तु इस भूमि पर पर गणपत का कब्जा नहीं है, इस भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 नत्थू ही काबिज है। भूमि ख०नं० ख०नं० 769 रकबा 39 एयर, ख०नं० 770 रकबा 1.04 हैक्टर, ख0नं0 771 रकबा 50 एयर, ख0नं0 781 रकवा 45 एयर, ख0नं0 782 रकबा 89 एयर में वादी रतन का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं० 1 नत्थू का 1/2 हिस्सा है। इसके अतिरिक्त ख०नं० 780 रकबा 1.21 हैक्टर में से आधा हिस्सा रतन का एवं आधा हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 नत्थू का है तथा यह आधा हिस्सा ख०न० 780 के पश्चिम की तरफ है। ख०नं० 780 की पूर्व की ओर की आधी भूमि प्रतिवादी नं० 3 रामकिशोर वगैरा की है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के मध्य करीब 20 वर्ष पहले भूमि का विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार ख0नं0 781 रकबा 45 एयर, 782 रकबा 89 एयर, 780 रकबा साढे 60 एयर भूमि पर वादी रतन काबिज है तथा भूमि ख०नं० 769 रकबा 39 एयर, 770 रकबा 1.04 हेक्टर, 771 रकवा 50 एयर पर प्रतिवादी नत्थू काबिज है। ख०नं० 770 के दक्षिणी हिस्से की डील के सहारे एक कुआ बना हुआ है तथा यह कुआ वादी एवं प्रतिवादी के पिता घीस्या ने अपने जीवनकाल में बना दिया तथा यह कुआ शामलाती है। इस कुए के पास ही प्रतिवादी सं० 1 की भूमि ख0नं0 770 में 5 गह दुपल्ला पाटोर पक्की बनी हुई है जिसमें से 3 गह पाटोर प्रतिवादी सं० 1 की है व 2 गह पाटोर वादी की है। इस प्रकार प्रतिवादी सं० 1 को वादी की तुलना में डेढ एयर भूमि तथा शामलाती कुए के पास की भूमि व 2 गह पाटोर की भूमि आदि कुल मिलाकर 3 एयर भूमि कम मिली है। यह 3 एयर भूमि ख०नं० 780 वादी की भूमि में से उत्तर की ओर से प्रतिवादी सं० 1 को दिया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं० 1 को 20 वर्ष पूर्व जो भूमि बंटवारे में मिली है सह काफी ऊबड–खाबड थी जिसे समतल कराने में प्रतिवादी सं० 1 ने काफी रूपया लगाया है। इस प्रकार पक्षकारान

के मध्य मौके पर भूमि विभाजित है। ख0नं0 770 में कुआ का रिकार्ड में अलग नम्बर डालकर कुआ दर्ज किया जाता है तो उतनी भूमि वादी के हिस्से व कब्जे में आई, ख०नं० 780 में से कम कर प्रतिवादी सं० 1 की खातेदारी में लगाया जाना न्यायोचित है। वादी का यह कहना गलत है कि पिता के जीवनकाल में बंटवारा हो गया था। मौके पर बंटवारा पिता की मृत्यु के करीब 1 वर्ष बाद हुआ है। पक्षकारान के पारिवारिक समझौते से हुए बंटवारे के अनुसार विभाजन किया जाकर खाते अलग अलग किए जावें। ख०नं० 770 में कुआ वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 का शामलाती है अतः इस कुए को शामलाती ही दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से में जो कम भूमि आ रही है उसकी पूर्ति कराई जावे। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि जबाब के अनुसार बंटवारा किया जाकर रेवेन्यु रिकार्ड दुरूस्त फरमायें।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं० 2063 से 2066, नकल नक्शा ट्रेस पेश किए है।

दिनांक 5.12.2014 उभयपक्ष के विद्धान वकील वादपत्र में भूमि विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम मंगवाने पर सहमत हुए। जिस पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 5.12.2014 द्वारा वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम नायब तहसीलदार तलावडा से मंगवाने का आदेश जारी किया गया।

नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा दिनांक 10.4.2105 को विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई।

वादी रतन के अभिभाषक द्वारा विभाजन स्कीम पर आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि वादग्रस्त भूमि मे विभाजन स्कीम मीट्स एंड बाउन्ड्स के आधार पर मंगवाई गई थी परन्तु पटवारी हल्का द्वारा विभाजन स्कीम मीट्स एंड बाउन्ड्स से तैयार नही की जाकर गलत रूप से तैयार की गई है वर्तमान रिपोर्ट मौके की स्थिति से भिन्न है एवं न्यायापूर्ण नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पुनः मीट्स एंड बाउन्ड्स से विभाजन स्कीम मंगवाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावें।

प्रतिवादी नत्थू ने इस आपत्ति का जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी ने मौके पर विभाजन स्कीम मे क्या गलती है इसका कोई तथ्य अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया है। मौके पर विभाजन के अनुसार विभाजन स्कीम बनाई गई है जो मीट्स एंड बाउन्ड्स से ही है। अतः वादी की आपत्ति खारिज की जावें।

आपत्ति प्रार्थना पत्र उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। वादी ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है वह मान्य नही है क्योकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5.12.2014 को जो प्राथमिक डिक्री जारी की गई है उसमे मौके पर दर्ज पक्षकारों के हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन स्कीम के आदेश दिये गये है तथा जो विभाजन स्कीम नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त हुई है उसके अवलोकन से विदित है कि उस

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पर वादी ने हस्ताक्षर करने से मना किया है। ऐसी स्थिति मे प्राप्त विभाजन स्कीम पर कोई संदेह किया जाना उचित नही है। फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति विभाजन स्कीम खारिज की जाती है एवं नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाता है एवं नायव तहसीलदार तलावडा के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. नत्थू पुत्र घीस्या, माली राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 769 रकबा 0.39 है0, ख0न0 770 रकबा 0.90है0, ख0न0 771 रकबा 0.50 है0 कुल रकबा 1.79 है0 ग्राम मच्छीपुरा रहेगी।
2. रतन पुत्र घीस्या माली, राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 780 रकबा 0.61 है0, ख0न0 781 रकबा 0.45 है0, ख0न0 782 रकबा 0.80 है0 कुल रकबा 1.95 है0 ग्राम मच्छीपुरा रहेगी।
3. रामकिशोर पुत्र नत्थू गुर्जर राहिन बैंक आफ बडौदा शाखा गंगापुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 780/1 रकबा 0.45 है0 ग्राम मच्छीपुरा रहेगी।
4. मुकेश पुत्र कल्लू जाति महाजन सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 780/2 रकबा 0.15 है0 ग्राम मच्छीपुरा रहेगी।
5. गणपत पुत्र शंकर लाल महाजन सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 770/1 रकबा 0.13 है0 ग्राम मच्छीपुरा रहेगी।
6. रतन पुत्र घीस्या माली हिस्सा 1/2 नत्थू पुत्र घीस्या माली हिस्सा 9/24 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर, गणपत पुत्र शंकरलाल महाजन हिस्सा 1/8 की खातेदारी में भूमि खसरा नम्बर 770/2 रकबा 0.01 है0 ग्राम मच्छीपुरा रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी